झारखण्ड सरकार

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

पत्रांकः– रा0खा0आ0 (शि0) सरायकेला–खरसावाँ / PDS–24 / 2022– 360

प्रेषक,

हिमांशु शेखर चौधरी
अध्यक्ष,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

सेवा में,

सचिव
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांकः– 25.05.2023

विषयः– **सरायकेला–खरसावाँ जिला में PDS लाभुकों को PMGKAY के माह दिसम्बर, 2022 का खाद्यान्न उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि श्री रमेश हांसदा द्वारा दिसम्बर, 2022 का NFSA एवं PMGKAY का खाद्यान्न उपलब्ध नहीं कराने का आरोप लगाते हुए दिनांक–11.01.2023 को एक परिवाद–पत्र आयोग में दिया गया।

परिवाद–पत्र पर सुनवाई के क्रम में DSO, सरायकेला–खरसावाँ द्वारा सूचित किया गया कि दिसम्बर, 2022 के PMGKAY का 20418.98 क्वींटल चावल व्ययगत हो गया था। उन्होंने पत्र में उल्लेख किया है कि आवश्यक 29759.82 क्वींटल चावल के स्थान पर मात्र 9340.83 क्वींटल चावल FCI से उपलब्ध हो सका।

चावल नहीं मिलने के कारण लाभुकों को उनके अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। अतः DSO, सरायकेला–खरसावाँ के पत्रांक–514 दिनांक–11.04.2023 को संलग्न करते हुए कहना है कि सरायकेला–खरसावाँ के TPDS के जिन लाभुकों को उनकी अहर्त्ता के अनुरूप खाद्यान्न नहीं मिला है, उन्हें खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाए। साथ ही खाद्यान्न के व्ययगत होने के कारण का उच्च स्तरीय जाँच कराकर जिम्मेवार लोगों पर कार्रवाई की जाए।

अनुलग्नकः– यथोक्त।

विश्वासभाजन

24/05/2023

(हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

E:\Ziyaul\Member Secretary new\letters.docx137

उपायुक्त का कार्यालय, सरायकेला-खरसावाँ।

(आपूर्ति शाखा)

प्रेषक,

पत्रांक 514/आ0

जिला आपूंर्ति पदाधिकारी,
सरायकेला-खरसावाँ।

सेवा में,

अवर सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग,
राँची।

सरायकेला, दिनांक 11/4/2023

विषय : *वाद संख्या – 07/2023 के मामले में सुनवाई के संबंध में।*

प्रसंग : *झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची के ज्ञापांक 254 दिनांक 10.04.2023*

महाशय,

उपर्युक्त विषयक वाद संख्या - 07/2023 - रमेश हांसदा, राष्ट्रीय कार्यसमिति सदस्य, भाजपा (अनुसूचित जनजाति मोर्चा), बाघराईसाई, पो0- गोविन्दपुर, थाना- राजनगर, जिला- सरायकेला-खरसावाँ से प्राप्त शिकायत का झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची द्वारा दिनांक 22.03.2023 को विडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुनवाई की गई।

प्रासांगिक पत्र द्वारा कोर्ट नोटिस के माध्यम से दिनांक 22.03.2023 को की गई सुनवाई में दिये गये निदेश के आलोक में माह- दिसम्बर 2022 का प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनान्तर्गत व्ययगत 20418.98420 क्विंटल चावल उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय पत्रांक 500/आ0 दिनांक 05.04.2023 एवं पत्रांक 513/आ0 दिनांक 11.04.2023 अनुरोध पत्र भेजा गया है। आदेश फलक में उल्लेखित है कि अधोहस्ताक्षरी पर अधिनियम के प्रावधानों के तहत् वैधानिक कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगा। इस संबंध में सूचित करते हुए कहना है कि अधोहस्ताक्षरी जिला आपूर्ति पदाधिकारी के पद पर दिनांक 05.01.2023 को योगदान किये हैं एवं उक्त माह के खाद्यान्न का उठाव दिनांक 31.12.2022 तक किया गया है। चावल उपलब्ध होने एवं वितरण की अनुमति विभाग से प्राप्त होने पर लाभुकों के बीच वितरण कर दिया जायेगा।

भवदीय को सादर सूचनार्थ समर्पित।

विश्वासभाजन

11/4/2023

जिला आपूर्ति पदाधिकारी
सरायकेला-खरसावाँ।
11/4/2023